भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 268
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में सुधार

268. श्री मलैयारासन डी. :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में उक्त योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों ने रोजगार प्राप्त किया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने स्थायी आजीविका प्रदान करने , ग्रामीण अवसंरचना में सुधार करने और गरीबी उन्मूलन में मनरेगा योजना की प्रभावशीलता को मापने के लिए उक्त योजना का कोई मूल्यांकन या प्रभाव आकलन किया है,

(ङ) मनरेगा योजना के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को केवल शारीरिक श्रम से परे आजीविका सृजन में कौशल विकास के अवसर या रोजगार प्रदान किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार की मनरेगा योजना का विस्तार या सुधार करने की कोई योजना है , जिसमें मजदूरी दरों में वृद्धि, कार्य की गुणवत्ता में सुधार , या बेहतर निगरानी और प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के उपाय शामिल हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) की मुख्य विशेषताएं अनुबंध में दी गई हैं।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत तमिलनाडु राज्य में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
तमिलनाडु में रोजगार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या [लाखों में]	75.79	79.39	74.34

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा जारी निधि और योजना के तहत किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(रु करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25

जारी केंद्रीय निधि	9743.53	12616.53	7585.49
व्यय (राज्य अंश सहित)	11420.95	13395.54	10744.75

(घ): भारत सरकार ने वर्ष 2020 में नीति आयोग द्वारा प्रायोजित घरेलू आय में वृद्धि , गरीबी उन्मूलन आदि के संदर्भ में तीसरे पक्ष के अध्ययन के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन का आकलन किया है। अध्ययन के कुछ प्रमुख निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

(i) महात्मा गांधी नरेगा योजना सामाजिक संरक्षण , आजीविका सुरक्षा और लोकतांत्रिक सशक्तीकरण पर अपने प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत में समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन है।

(ii) महात्मा गांधी नरेगा योजना टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन , बेहतर जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के माध्यम से गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है।

(iii) महात्मा गांधी नरेगा योजना का प्रभाव कृषि उत्पादन में सुधार के कारण घरेलू आय में वृद्धि के माध्यम से परिवारों के जीवन स्तर पर सकारात्मक रूप से पड़ा है।

(iv) महात्मा गांधी नरेगा योजन से ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी में बड़ी वृद्धि हुई है ।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के साथ-साथ सामाजिक रूप से बहिष्कृत समुदाय भी महात्मा गांधी नरेगा योजना से लाभान्वित होते हैं और इसके तहत शामिल हैं , जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है।

(ङ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करने के लिए , भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में "उन्नति परियोजना" शुरू की। महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करके, इस परियोजना का उद्देश्य उनकी आजीविका में सुधार करना है , ताकि वे स्वरोजगार या वेतनभोगी रोजगार के माध्यम से वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की ओर बढ़ सकें। इस परियोजना का उद्देश्य 2 लाख महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के कौशल आधार को बढ़ाना है। 31 मार्च 2025 तक कुल 90,894 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

(च): ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर विभिन्न कदम उठाए हैं। बदलते ग्रामीण परिवेश में इसकी प्रभावशीलता, दक्षता और प्रासंगिकता में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

i. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) और कृषि संबंधी गतिविधियों में लक्षित कार्यकलापों से जल-संकटग्रस्त ब्लॉकों में उल्लेखनीय कमी आई है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, ऐसे ब्लॉकों की संख्या 2,264 से घटकर 1,456 हो गई है, और 18 राज्यों के 199 जिलों के 1,519 ब्लॉक जल-संकटग्रस्त सूची से हटा दिए गए हैं। यह जल संकट से जल सुरक्षा की ओर बदलाव में मनरेगा की सफलता को दर्शाता है।
ii. मिशन अमृत सरोवर: माननीय प्रधानमंत्री के विजन के तहत वित्त वर्ष 2022 में पूरे भारत में 50,000 जल निकायों का निर्माण या पुनरुद्धार करने के लिए मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया , जिसका उद्देश्य देश भर में जल संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करना है। मिशन का पहला चरण उम्मीदों से बढ़कर रहा, जिसमें 68,000 से अधिक अमृत सरोवर विकसित किए गए, जो एक सफल "संपूर्ण सरकार" दृष्टिकोण को दर्शाता है। आईआईटी दिल्ली द्वारा किए गए एक प्रभाव आकलन से पता चला है कि जल निकायों के सत ह क्षेत्र में 16.3% की वृद्धि हुई है और शुष्क जल निकायों में 42% की कमी आई है। जीआईजेड इंडिया द्वारा किए गए एक समानांतर अध्ययन ने मिशन के व्यापक पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक लाभों पर जोर दिया , जिसमें भूजल पुनर्भरण , कृषि उत्पादकता, जैव विविधता और ग्रामीण आजीविका में सुधार शामिल हैं।

iii. सामाजिक लेखा परीक्षा:- इस अधिनियम के अधिदेश के अनुसार , सभी ग्राम पंचायतों का सामाजिक लेखा परीक्षण वर्ष में कम से कम दो बार किया जाना अपेक्षित है। कुल 27 राज्यों और 1 संघ राज्य श्रेत्रों ने सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयाँ स्थापित की हैं।

iv. आधार आधारित भुगतान प्रणाली: महात्मा गांधी नरेगा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत , श्रमिकों को सभी भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों के खातों में जमा किए जाने हैं। इस योजना के अंतर्गत सक्रिय श्रमिकों के 99.6% आधार नंबर सफलतापूर्वक जोड़ दिए गए हैं।

v. जीआईएस आधारित योजना - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग: देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली दृष्टिकोण) तैयार करना।

vi. युक्तधारा: जीआईएस आधारित योजना उपकरण - महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए इसरो-एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" विकसित किया गया है।

vii. सिक्योर - रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने के लिए अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर: इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की गणना का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है।

viii. जियो-नरेगा: यह ऐप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है ताकि परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "दौरान" और "बाद" चरणों में परिसंपत्तियों के निर्माण को जियोटैगिंग द्वारा ट्रैक किया जा सके। अब तक 6.36 करोड़ परिसंपत्तियों को जियोटैग किया जा चुका है।

ix. राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस): महात्मा गांधी नरेगा , कार्यस्थलों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) पर श्रमिकों की उपस्थिति को दिन में दो बार जियो-टैग्ड फोटोग्राफ के साथ दर्ज करने में सक्षम बनाती है।

x. क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एप्लीकेशन: इस ऐप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी अपने क्षेत्र दौरे के निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हैं और अधिकारी दौरा किए गए सभी कार्यस्थलों के समय-मुद्रित और जियोटैग किए गए फोटोग्राफ रिकॉर्ड कर सकते हैं।

xi. जलदूत ऐप: इस ऐप से ग्राम रोजगार सहायक (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को माप सकते हैं।

xii. जनमनरेगा ऐप: यह महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में नागरिकों को सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण के साथ-साथ एक प्रतिक्रिया तंत्र में भी सहायता करता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 22.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 268 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

महात्मा गांधी नरेगा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं:

i. ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, स्थानीय ग्राम पंचायत को लिखित या मौखिक रूप से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ii. ग्राम पंचायत उचित सत्यापन के बाद 15 दिनों के भीतर निःशुल्क जॉब कार्ड जारी करेगी।

iii. अधिनियम के अनुसार, श्रमिक को आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में मांग की तिथि, जो भी बाद में हो, के भीतर काम की मांग करने और प्राप्त करने का अधिकार है।

iv. यदि कार्य की मांग के पंजीकरण की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में कार्य की मांग की तिथि, जो भी बाद में हो, के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो श्रमिक कानूनी रूप से दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

v. श्रम बजट (एलबी) तैयार करना , जो एक आवश्यक वार्षिक कार्य योजना दस्तावेज है जिसमें नियोजन , अनुमोदन, वित्त पोषण और परियोजना निष्पादन के तौर-तरीके शामिल होते हैं।

vi. किसी गाँव के लिए परियोजनाओं की सूची ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित और जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाएगी। कम से कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों को निष्पादन के लिए आवंटित किए जाएँगे।

vii. अनुमेय कार्यों में मुख्य रूप से जल एवं मृदा संरक्षण, वनरोपण और भूमि विकास कार्य शामिल हैं।

viii. जिला स्तर पर 60:40 का मजदूरी और सामग्री अनुपात बनाए रखना होगा। किसी भी ठेकेदार और श्रमिक विस्थापन मशीनरी की अनुमति नहीं है।

ix. केंद्र सरकार अकुशल शारीरिक श्रम की 100 प्रतिशत मजदूरी लागत और कुशल एवं अर्ध-कुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित सामग्री लागत का 75 प्रतिशत वहन करेगी।

x. सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा द्वारा की जानी है।

xi. एक उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया जाना है।

xii. योजना से संबंधित सभी खाते और अभिलेख सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध होने चाहिए।